कार्यालयः—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।

पत्रांकः—मान्यता/ 310-17 /2025-26 /2018—19 दिनांकः— 05-04-18

प्रबन्धक,
हिंद इन्टरनेशनल स्कूल,
मऊ अटरिया, वि0क्षे0 सिधौली,
जनपद सीतापुर।

09241901715
L-130830

विषयः— **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।**

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2018—19 से 03 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम की जूनियर स्तर (कक्षा नर्सरी से 8 तक) के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:—

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा नर्सरी में (यथास्थित, नर्सरी से कक्षा 8 तक), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा—15 की उपबन्धो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः
 (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
 (2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 (3) उचच प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक/बालिका से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 (4) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक/बालिका को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा।
 (5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेंगे।
 (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगें।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
कीड़ा–स्थल है
कक्षाओं की संख्या 10
प्राधानाध्यापक–सह–कार्यालय सह–भण्डार के लिए कक्ष है

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शैचालय उपलब्ध
पेयजल सुविधा उपलब्ध
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापक पठनसामग्री/कीडाखेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्तकिसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा हैं।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड–अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या:– 15/2018 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्टें और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. प्राभूत कोष बंधक कराये।

5.4.18

(अजय कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर।

पृष्ठांकन–मान्यता/ 340-17 /2025-26 /2018–19 दिनॉकः– 05-04-18

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सीतापुर।
3. शिक्षा निदेशक, (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ठ मण्डल, लखनऊ।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, विकलांग कल्याण अधिकारी जिला सीतापुर।
7. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी ग्रामीण/नगर, सीतापुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर।

Description	Value
UDISE Code	09244112074
School Name	HIND INTERNATIONAL SCHOOL MAU ATARIA SIDHAULI
Academic Year	2026-27
School Status	0 - Operational
School Category	2 - Primary with Upper Primary
Classes	1 - 8
Academic Streams	NA
School Management	5 - Pvt. Unaided (Recognized)
School Type	3 - Co-ed
Pre-Primary Availability	1 - Yes
No. of classes in Pre-Primary	3